(वाद संख्या–**968/17**)

16.09.2019

परिवादी, मुस्तरी खातुन, पत्नी अजीमुद्दीन की ओर से उनके पुत्र, मो0 मुनसीर आलम, उपस्थित हैं।

आयोग के दिनांक–06.08.2019 के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि इंदिरा आवास हेतु गलत ढंग से अकलीमा खातुन व उसके पति द्वारा लिये गये पैंतीस हजार रुपये की राशि, मौलानापुर पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव, भद्रदेव शर्मा व तत्कालीन मुखिया, श्री जमील अख्तर द्वारा जमा कर दी गयी है, क्योंकि लाभान्वित अकलीमा खातुन एवं उसके पति, अजीमुद्दीन, की मृत्यु हो चुकी है। जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इंदिरा आवास के गलत भुगतान करने के संबंध में उपरोक्त तत्कालीन सचिव व पूर्व मुखिया के विरूद्ध बारसोई थाना में आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इंदिरा आवास की वसूली गयी उक्त पैंतीस हजार रुपये की राशि का भुगतान, परिवादी को करने हेतु, उन्हें आई0डी0 प्रमाणक के प्रखण्ड कार्यालय, बारसोई में उपस्थित होने हेतु सूचना दी गयी जिसे प्राप्त करने से परिवादी ने इन्कार किया है, लेकिन आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी के पुत्र द्वारा सूचित किया गया कि उसकी माँ को प्रखण्ड कार्यालय, बारसोई से उक्त के संबंध में कोई सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी के पुत्र का कथन है कि वह इस संबंध में प्रखण्ड कार्यालय, बारसोई में अपनी माँ को आई0डी0 प्रमाणक के साथ उपस्थित कराने को तैयार है।

परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इंदिरा आवास की पैंतीस हजार रुपये की राशि को प्राप्त करने हेतु तत्काल प्रखण्ड कार्यालय, बारसोई में उपस्थित हों तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई को यह निर्देश दिया जाता है कि परिवादी के उचित पहचान तथा आई0डी0 सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार इंदिरा आवास की पैंतीस हजार रुपये का भुगतान परिवादी, मुस्तरी खातुन पति,

अजीमुद्दीन ग्राम–पंचायत– मौलानापुर, पोस्ट–बारसोई घाट, थाना–बारसोई, जिला–कटिहार करे प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–22.10.2019 को आयोग को समर्पित करें।

कार्यालय, आज परित आदेश की प्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, कटिहार को भी परिवादी के इंदिरा आवास की राशि के भुगतान के संबंध में दिनांक–22.10.2019 के पूर्व आयोग को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु हेतु पत्र निर्गत करें।

आज परिवादी के पुत्र की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली तिथि की सूचना के संबंध में परिवादी को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–22.10.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>